International Research Journal of Humanities, Language and Literature
ISSN: (2394-1642)
Impact Factor 8.972 Volume 11, Issue 6, June 2024
Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
Website-www.aarf.asia, Email : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

''ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना : पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का आकलन''

Komal, Research Scholar,
Department of Political Science, Shri Khushal Das University, Hanumangarh, Rajasthan

Dr. Kamlesh Rathore, Research Supervisor,
Department of Political Science, Shri Khushal Das University, Hanumangarh, Rajasthan

DOI:aarf.irjhll.55456.22136

सार

1992 में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई। ये संस्थान स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के मुख्य संस्थान रहे हैं जो सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। पंचायती राज संस्थानों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह कहा जा सकता है कि पहले के पारंपरिक राजनीतिक और आर्थिक वातावरण और गाँवों का संरचना पंचायतों को शक्तिशाली बनाकर और सामर्थ्यिक बनाने के माध्यम से एक अधिक उन्नत और प्रगतिशील संरचना में परिवर्तित हो गया है।1992 का 73वां संशोधन अधिनियम भारत में घास के रूप में लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास में एक प्रबल कदम है। यह प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के स्थान पर सक्रिय भागीदारिक लोकतंत्र को लाता है। पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण लोगों को सशक्तिकरण में व्यापक परिवर्तन लाया है, जिसके माध्यम से नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जाता है और राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य कार्यों में। यह ग्रामीण भारत के पूर्णांक विकास का सुनिश्चित करता है। पंचायत ग्रामीण लोगों को शासन प्रदान करते हैं ताकि वे अपने समाज–राजनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यह संपूर्ण ग्रामीण समुदाय की संघटित इच्छा और समूह की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पंचायतों को भारत के राजनीतिक प्रणाली की नींव माना, जहाँ शासन का विघटनित रूप स्तरों पर स्थापित है। इस पेपर का उद्देश्य पंचायतों के द्वारा ग्रामीण भारत में लाए गए परिवर्तनों की समझ और प्रतिनिधित्व को उत्थान करना है, इतिहासिक, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक तरीकों और डेटा के सेकेंडरी स्रोतों का उपयोग करके। इस पेपर में पंचायतों की भूमिका का पालन किया जाता है, भारत की ग्रामीण समाजों को कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से सशक्तिकरण।

मूल शब्द :पंचायत, ग्रामीण विकास, सहभागी लोकतंत्र, सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन

© **Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)**
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

प्रस्तावना

भारत में, पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही ग्रामीण समाजों में लोगों के हित और आवश्यकताओं की सेवा और प्राथमिकता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारत में, ग्रामीण समाजों ने पंचायत को पांच व्यक्तियों की समिति के रूप में अनुभव किया था जो गाँववालों के बीच विवादों के समाधान के लिए कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अपनाते थे। पंचायत को प्रारंभिक ग्रामीण राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के रूप में उपयोग किया जाता था जो पूरे ग्रामीण समुदाय की समूहिक प्रतिनिधित्व और समूह बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करती थी। 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा गांधीजी की दृष्टि थी। गांधी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समूचे विकास के लिए शक्तियों का अपनी स्वयंसेवक सरकार के माध्यम से पंचायतों को सशक्तिकरण को गहनतापूर्वक वकालत की। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण के माध्यम से, गांव अपने अपने भाग्य और लक्ष्यों के निर्माता और निर्णायक बनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्थानीय स्वशासन और प्रशासन के रूप में प्रकट होती है। पहली बार, 1959 में नागपुर जिले, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था प्रस्तावित किया गया था लेकिन यह पहली बार आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा क्रियाशील किया गया था। दिलचस्पी की बात है कि 1950 और 60 के दौरान, कुछ अन्य राज्य सरकारों ने यह प्रणाली कानून बनाकर सम्मिलित की।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत, राज्य गाँव के पंचायतों को संगठित करने और उन्हें शक्तियों और अधिकारों को सौंपने के उपाय अपना सकता है और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सरकार के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। भारत की स्वतंत्रता से पहले, 1947 में बिहार राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, जो ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तत एक समान स्व–सरकारी प्रणाली थी। पंचायतों ने लंबे समय से ग्रामीण भारत की कड़ियों में काम किया है। पंचायती राज एक शासन प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायतें प्रशासन की प्रमुख इकाइयां होती हैं। पंचायती राज संस्थाएँ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये संस्थाएँ योजनानुसार नियोजन और इसके कार्यान्वयन का केंद्र होती हैं।

पंचायत गांधीवादी सपने को ग्राम स्वराज के रूप में गांवों की स्व–सरकार के रूप में वास्तविक उपकरण के रूप में कार्य करती हैं, जो राष्ट्रनिर्माण के लिए प्रेरणा सुनिश्चित करता है। 73वां संवैधानिक संशोधन की आत्मा और राज्य के कानूनों के कार्यान्वयन के साथ, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप में काम करने लगी हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार अब सफल कल्याण योजनाओ और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए शासन का वितरण का लाभ लेते हैं।

पंचायती राज संस्थान

पंचायती राज संस्थान ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की मजबूत आधार हैं। ये तीन स्तरों पर कार्य करते हैं – ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, आर जिला परिषद – पीआरआई सक्रिय करते हैं। सत्ता और निर्णय लेने की स्तर को डीसेंट्रलाइज करते हुए, इनका काम ग्रासरूट स्तर पर शासन को लाने

का होता है। गाँव के स्तर पर, ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन और विकास कार्यों को लेती है। ब्लॉक पंचायत, एक मध्यस्थ स्तर पर स्थित होते हैं, अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के कार्य को निगरानी और समन्वय करते हैं, जबकि जिला परिषद ब्लॉक पंचायतों की निगरानी करते हैं और जिला स्तर पर विकास के पहलों को समन्वित करते हैं। पंचायती राज संस्थान विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करते हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास योजनाओं को कार्यान्वित करना, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करना, और सामाजिक न्याय के लिए वकालत करना। उनके माध्यम से, पीआरआई निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, ग्रासरूट लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं और भारत के ग्रामीण समुदायों को सशक्त करते हैं।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका

स्थानीय योजना और कार्यान्वयन–पीआरआई लोकल विकास की प्राथमिकताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए योजनाएँ और रणनीतियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार ह। वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीआरआई के ग्रासरूट से जुड़े रहने के कारण, वे सुनिश्चित करते हैं कि विकास प्रयास ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं।

संसाधन प्रबंधन– पीआरआई स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करते हैं जैसे कि भूमि, पानी, वन, और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन। वे प्राकृतिक संसाधनों के दायरे में धारित उपयोग और पर्यावरण–मित्र अभ्यासों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रभावी संसाधन प्रबंधन के माध्यम से, पीआरआई जीवनोपाय को सुधारने में और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान करते हैं।

साधारण संरचना विकास– पीआरआई संरचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना और कार्यान्वयन का धारावाहिक लेते हैं, जिसमें सड़कें, पुल, पीने का पानी, स्वच्छता, और विद्युतीकरण शामिल हैं। मौलिक सुविधाओं और बुनियादी संरचनाओं के पहुंच को सुधारकर, पीआरआई ग्रामीण समुदायों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण को बढ़ाते हैं और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण– पीआरआई सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देकर सुनिश्चित करते हैं कि समाज के वंचित वर्ग, जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, और अन्य वंचित समूह, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करें। वे इन समुदायों को सशक्त बनाने और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाते हैं।

क्षमता निर्माण और जागरूकता– पीआरआई स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियों में लगे हैं। वे रुरल समुदायों को उनके अधिकारों, अधिकारों, और विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ह जो उनके लाभ के लिए उपलब्ध हैं।

साहित्य की समीक्षा

ब्रायल्ड, ई. (2001) पिछले दशक में, अच्छा शासन और डेसेंट्रलाइजेशन विकास के दो मुख्य स्तंभों में से दो बन गए हैं, जिन पर अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसियों और विकासशील देशों की प्राधिकारियों द्वारा सफल

विकास की खोज में निर्भर किया जाता है। भारत में, दुर्बल वर्गों के भागीदारी को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं जो स्थानीय निर्णय लेने के नए इंगितों के माध्यम से डेसेंट्रलाइज किए गए हैं। यह लेख भारतीय पंचायत राज सिस्टम का विश्लेषण करके डेसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से भागीदारी को बढ़ाने की संभावनाओं और खतरों को प्रकट करता ह। यह दिखाता है कि तकनीकी विनियमन सबके लिए लोकतांत्रिक निर्णय लेने में वास्तविक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या विकास के मुख्य साधनों में से एक के रूप में डेसेंट्रलाइजेशन को स्वीकृति दी जा सकती है, यह अभी तक हल नहीं हुआ है।

वर्मा, ए. (2017) अध्ययन का मुख्य ध्यान महिलाओं के राजनीति में भूमिका का मूल्यांकन पर है, खासकर भारतीय संविधान के पूरे समानता के वादे के संदर्भ में। 1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के साथ, ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय प्रशासन में एक–तिहाई आरक्षण के साथ सशक्त किया गया। यह परिवर्तन महिलाओं को सम्बद्ध करने का उद्देश्य रखता था, जो पहले विकास कार्यों से दूर थीं, राजनीतिक प्रक्रियाओं में। अपनी राजनीतिक स्थिति को बढ़ाकर, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, जो बाल विवाह और अशिक्षता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने में योगदान करता है। संशोधनों ने राजनीतिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को काफी बढ़ाया, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं में यह अभिव्यक्त होता है। पंचायती राज मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 2008 में ग्राम, इंटरमीडिएट, और जिला पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 35.3ः से 37.8ः तक था। आगामी वर्षों में भी और अधिक भागीदारी देखी गई, औसत प्रतिनिधित्व 2012दृ2013 में 46.7ः तक पहुंच गया। अध्ययन राज्य–वार पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों पर चुनी गई महिला प्रतिनिधियों का विश्लेषण करता है, जो सेकेंडरी डेटा स्रोतों से लिया गया है।

कुमारी, वी. (2021)पंचायती राज संगठन भारत में, संविधान के 73वें संशोधन के तहत स्थापित, प्राथमिक स्तर पर अधिकार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण विनियोजन का प्रतीक हैं। यह दस्तावेज भारत में ग्रामीण विकास में पीआरआईओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने का इरादा रखता है, उनकी क्षेत्रीय स्वशासन को बढ़ावा देने, सेवा प्रदान को बेहतर बनाने, समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने, और सामाजिक–आर्थिक बाधाओं का सामना करने में उनकी भूमिका की जांच करने के द्वारा। संख्यात्मक और वर्णनात्मक अनुसंधान दृष्टिकोणों का उपयोग करके, इस अनुसंधान में पीआरआईओं के प्रगति, उनके वास्तुकल्प और परिचालन संबंधित पहलुओं, और उनके प्रभाव पर जांच की जाती है। खोज के अनुसार, हालांकि पीआरआईओं ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है, लेकिन क्षमता विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और सरकारी हस्तक्षेप जैसी बाधाएँ अब भी बनी हुई हैं। यह मूल्यांकन भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में पीआरआईओं के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतिनिर्माताओं, विद्यार्थियों, और विकास पेशेवरों के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गतिशीलता में परिवर्तन को गति देने के लिए की जाने वाली भूमिका और कार्यों पर चर्चा और समीक्षा करना है। इसके साथ ही, यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के महत्व पर ध्यान केंद्रित करके समझन को भी ट्रेस करेगा।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस पेपर को इतिहासी और वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विधियों का उपयोग करके तैयार किया गया है। इतिहासी विधि अध्ययन से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने में मदद करती है। वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग पंचायती राज प्रणाली द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, भारत के ग्रामीण समाजों में व्यापक सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में। इस अध्ययन में, आवश्यक जानकारी और डेटा पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं, जर्नलों, अख़बारों और वेबसाइट्स आदि जैसे डेटा के सैकड़ों स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं।

चर्चा

➢ *पंचायत राज संस्था का विकास और संचालन*

पंचायते प्राचीन भारतीय स्वायत्त संस्थान हैं। पंचायतों का अस्तित्व प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ षरिगवेदष में श्सभाश और श्समितिश के रूप में पाया जाता है। शब्द वाचक रूप से पंचायत पाँच (पंच) बुद्धिमान और सम्मानित वृद्धों की एक सभा को सूचित करता है जो गाँव के लोगों द्वारा चुनी जाती है। पंचायती राज गाँव स्तर पर स्वायत्त सरकार का एक तंत्र प्रदान करता है। ग्रामीण भारत की परंपरा और संस्कृति को पंचायत राज के दर्शन से गहरा प्रभाव पड़ता है। यह स्वायत्त सरकार की घास की जड़ इकाई है जो ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्वायत्त संगठन प्रदान करती ह। पंचायत को ग्रामीण भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का प्रमुख संस्थान माना जाता है। इस महत्वपूर्ण घास की जड़ इकाई का सफल और प्रभावी काम करना और परिचालन गाँव के लोगों की सक्रिय भागीदारी और भागलेपन पर निर्भर करता है, चाहे वे जाति, लिंग, धर्म आदि के अन्यथा हों।

➢ *पंचायत राज संस्था का उद्देश्य*

- ग्रामीण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों की उन्नति सुनिश्चित करना।
- गाँवी समुदाय में सहकारी आत्म–सहायता को बढ़ाना।
- ग्रामीण समाज में सहकारी इकाइयों का विकास।
- स्थानीय संसाधनों और मानवशक्ति का उपयोग करना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादन को प्राथमिकता देना।
- ग्रामीण लघु उद्योगों का संरक्षण और प्रोत्साहन करना।
- स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास और प्रगति में शामिल करने की प्रोत्साहना करना।
- ग्रामीण लोगों को उनके स्वयं के हितों की सेवा के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को कार्यान्वयन और कार्यान्वित करने में सशक्त बनाना।

➢ *73वें संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व*

संविधान के नये भाग दृप्प को जोड़ा गया। 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम के तहत, संविधान के अनुच्छेद 243जी ग्राम पंचायत को शक्तियों और अधिकारों का अपेक्षात्मकीकरण करता है राज्य सरकार से सत्रीय सरकार और प्राधिकरणों की पावर्स की वितरण स्थानीय योजना और परियोजनाओं के लिए आर्थिक उन्नति और विकास और सामाजिक न्याय के लिए गणनीय 29 विषयों में से सभी के लिए अधिकार है।

➢ *ग्रामीण विकास के लिए मेगा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका*

मेगा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख भूमिका है–

- **इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 1985–86**

योजना IAY 1985–86 में नौव योजना के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सभी के लिए आवास प्रदान करना है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रदान करती है। पंचायत राज संस्थानों का आईएवाई अधीन में सही लाभार्थियों का चयन और पहचान करना में मुख्य भूमिका है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा निर्धारित किया जाता है और लाभार्थियों का चयन बीपीएल सूची के आधार पर किया जाता है, सूची में पदक्रम के आधार पर।

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम**

पंचायती राज संस्थान ग्रामीण भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। च्त्पे ने 2006 में इसे शुरू होने के बाद से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करती है।इस योजना में 261 अनुमोदित कार्य हैं, जिनमें लगभग 164 प्रकार के काम कृषि क्षेत्र सहित होते हैं और अन्य गतिविधियों जैसे कि जल संरक्षण, बांध का निर्माण आदि। पंचायती राज संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कई गतिविधियों की योजना, कार्रवाई और कार्यान्वयन में संविदा को स्थानीयकृत करने की प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। कोविड–19 महामारी के चलते, डळछत्प्ळ। के तहत अनुमोदित कार्यों की संख्या को बढ़ाया गया था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्राम) के संबंध में सामुदायिक सैनिटरी संरचना के लिए अनुप्रयोग निर्माण के लिए अकुशल वेतन घटक 230 दिनों को जोड़कर 262 तक।ग्राम सभा कामों की सिफारिश करती है और कम से कम 50ः काम च्त्पे द्वारा किया जाना चाहिए। च्त्पे को कामों की योजना, कार्रवाई और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। वर्ष 2020–21 के लिए, पहले से ही 61. 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दूसरी ओर, कोविड19 महामारी द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने

के लिए अत्यधिक रोजगार संभावनाओं को उत्पन्न करने के उद्देश्य से, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अतिरिक्त 40000 करोड़ रुपये का अलावा किया है। यह आवंटन च्प्े की कार्यान्वयन और कार्यान्वयन में विशाल जिम्मेदारी को दिखाता है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई–2000)**

यह योजना पूरी तरह से भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। च्डळैल का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक लोगों की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी असंबद्ध बस्तियों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है।

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एमएसएपी–1995)**

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वृद्धावस्था, प्राथमिक वेतन भोगी की मृत्यु और मातृत्व की स्थिति में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। एनएसएपी के मुख्य तत्व राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना हैं।

- **जल जीवन मिशन (जेजेएम)**

पीआरआईएस की भूमिका जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचायतों ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में जोर दिया, जो कि 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक महायोजना है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को नियमित मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता के साथ नल स्नान की आपूर्ति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल संयोजन प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष (2019–2020) के दौरान, केंद्र सरकार ने जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 8,050 करोड़ रुपये जारी किए।
73वें संशोधन की आत्मा के तहत, स्थानीय गांव और ग्राम पंचायतों का सक्रिय शामिल होना दिखाई देता है जो जल जीवन मिशन की प्रभावी योजना, कार्रवाई, प्रबंधन और परिचालन के लिए है। इसके माध्यम से गांवों में स्थायी और टिकाऊ पानी की आप्र्ति प्रणाली सुनिश्चित की जाती है। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शुद्ध पीने के पानी की आपूर्ति के लिए काम कर रही हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, परियोजना की प्रभावी योजना और कार्रवाई के लिए ग्राम जल और स्वच्छता समिति का उप–समिति गठित किया गया है।
ये कछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिनका ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन और क्रियान्वयन किया जाता है।

- **73वें संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व**

यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद को एक नया भाग दृप्प जोड़ता है। 1992 में 73वें संशाधन अधिनियम के तहत, संविधान के अनुच्छेद 243जी ग्राम पंचायतों (जीपी) को शक्तियों और अधिकारों की अपेक्षानुसार राज्य सरकार से अधिकारियों को अधिकृत करता है, जो ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 विषयों के पावर्स

को स्थानीय योजना और परियोजनाआ के लिए अर्थवर्धन और विकास और सामाजिक न्याय के लिए वित्तीय अग्रसरता के लिए स्थानीय प्लानिंग और कार्रवाई के लिए अधिकार प्रदान करता है।

इस संशोधन के कुछ प्रावधान राज्यों को बाध्य करते हैं और कुछ अन्य को उनके विचारों में संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा कार्रवाई करने के लिए छोड़ा जाता है।

73वें संशोधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित रूप में समझाए जा सकते हैं–

- ✓ जिला (जिला), ब्लॉक और गांव स्तरों पर एक त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का गठन।
- ✓ तीन स्तरों पर सभी पदों को भरने के लिए सीधी चुनाव होना चाहिए।
- ✓ पीआरआई में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- ✓ जिला और ब्लॉक स्तरों में अध्यक्ष पद को जिला चुनाव द्वारा भरा जाना चाहिए।
- ✓ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों की आरक्षण, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, और पंचायतों में महिलाओ के लिए एक–तिहाई सीटों की आरक्षण।
- ✓ प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन ताकि पीआरआई के चुनाव का आयोजन किया जा सके।
- ✓ पीआरआई की कार्यकाल पांच वर्ष होती है। यदि पहले ही विघटित किया गया हो, तो नए चुनावों का आयोजन छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।
- ✓ प्रत्येक पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग की प्रावधानिकता।

- **पंचायतों की संरचना**

पंचायती राज तंत्र की स्थापना की गई तीन–स्तरीय संरचना के रूप में की गई थी जो सभी तीन–स्तरों पर सीधे चुनाव पर आधारित थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (इंटरमीडिएट) और जिला परिषद (जिला)। छोटे राज्यों को छोड़कर इंटरमीडिएट टियर की संयोजन में अपवाद है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। राज्य विधानमंडलों की उम्मीद थी कि पंचायतों को किसी भी आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से संपन्न करें जो पंचायतों को पेड़ो के स्तर पर स्व–सरकार के प्रमुख संस्थानों के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक हों। पंचायतों के कार्यों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना शामिल है जिसमें एकादश अनुसूची में उल्लिखित 29 महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में कृषि, प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पीने का पानी, ग्रामीण आवास, कमजोर वर्गों की कल्याण और सामाजिक वनस्पति आदि।

पंचायती राज संस्था की त्रिस्तरीय संरचना

- ✓ **ग्राम पंचायत**– ग्राम पंचायत को स्वच्छता, सार्वजनिक सड़कों की सफाई, लघु सिंचाई, सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, पीने के पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक कुएं का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामाजिक स्वास्थ्य, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा आदि के संबंध में कुछ नागरिक कार्यों का अनिवार्य रूप से निर्वाह करना होता है। पंचायतों को वार्षिक विकास योजना का तैयारी करना,

प्राकृतिक आपदा में राहत, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण का हटाना और गरीबी शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यों का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग भी करने की अपेक्षा की जाती ह।

- ✓ **पंचायत समिति**–पंचायत समिति पंचायती राज का दूसरा या मध्यस्त टियर है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच का संपर्क कार्य करती है। पंचायत समिति की सत्ता समिति क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करती है। कुछ सदस्यों को पंचायत समिति के द्वारा सीधे चुना जाता ह। ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के पूर्वाधिकारी सदस्य होते हैं। पंचायत समितियाँ विकास कार्यों का मुख्य स्रोत होती हैं। पंचायत समितियाँ कृषि, सामाजिक और कृषि वनस्पति, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आदि कुछ कार्यों का निष्पादन करती हैं।
- ✓ **जिला परिषद**– पचायती राज का सबसे ऊपरी टियर है जिला परिषद। जिला परिषद में कुछ सदस्यों को जनसंख्या के आधार पर सीधे चुना जाता है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पूर्वाधिकारी सदस्य होते हैं। संसदीय विधान सभा और परिषदों के सदस्य जो जिले में निवास करते है, वे भी जिला परिषदों के नामांकित सदस्य होते हैं। यह जिला योजनाओं को तैयार करता है और समितियों की योजनाओं को जिला योजनाओं में संयोजित करता है जो राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। जिला परिषद जिले में विकासात्मक गतिविधियों का मॉनिटर और पर्यवेक्षण करता ळें

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को सशक्त बनाने वाले कानून के प्रमुख पहलुओं को लागू करने में पर्याप्त प्रगति की है, जैसे–

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अनुरूपता अधिनियम पारित किए हैं।

1. राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और सभी राज्यों में उनकी देखरेख में नियमित चुनाव कराए गए हैं।
2. सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है और उनकी सिफारिशें प्राप्त की गई हैं।
3. पूरे देश में पंचायतों में बुनियादी ढांचे और शासन में सुधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पंचायती राज संस्थाओं की निधि, कार्य और पदाधिकारी

शक्ति की प्रत्यारोपण जो धन, कार्य और कर्मियों को तीन मौलिक घटकों के रूप में माना जाता है, यह पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 2015–16 में, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रत्यारोपण रिपोर्ट ने बताया कि प्रत्यारोपण के दो मुख्य पहलू हैं, यानी संचालन प्रणाली जिसमें धन, कार्य और कर्मियों शामिल होते हैं और एक और पहलू है कि समर्थन प्रणाली जो पंचायती राजों की क्षमता निर्माण, संवैधानिक यंत्र को सक्रिय करने और पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रणाली प्रदान करती है। कुछ राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने देश में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

निष्कर्ष

पंचायतें भारत की सबसे पुरानी स्वायत्त लोकतांत्रिक संरचना हैं। शरिग्वेदश जैसे प्राचीन भारतीय धार्मिक पाठों में पंचायत का उल्लेख श्सभाश और श्समितियोंश के रूप में है। 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को

संवैधानिक स्थिति की मान्यता के बाद से, पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण भारत में विकास और प्रगति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण और संरेखित भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज प्रणालो ग्रामीण भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही है। पंचायती राज संस्थाएँ भारत के गांवों में रहने वाले लोगों को स्वायत्त शासन प्रदान करती हैं। यह भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक शक्तियों और अधिकारों के अनुभव को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निजी सरकार के गुणवत्ता स्तर पर स्थापित होने के माध्यम से प्राप्त करने का साधन प्रदान करता है। पंचायती राज प्रणाली को ग्रामीण भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का वाहन माना गया है। नागरिकों का सक्रिय शामिल होना और भागीदारी लिंग, जाति, धर्म आदि के अलावा, गांव स्तर पर स्वायत्त सरकार के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी और सफल कार्य को और अधिक मजबूत कर सकता है।पंचायतों की भूमिका ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। सरकार की महाकार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने और स्थानीय संसाधनों का उपयोग सही ढंग से करने के लिए पीआरआईयों पर बढ़ती आश्रयता ग्रामीण भारत में पंचायतों की महत्ता और आवश्यकता को प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास की सभी पहलुओं और समाजों को उज्ज्वलता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के लिए नीति निर्माण की प्रक्रिया से अत्यधिक ध्यान आकर्षित होता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो 2018–19 से 2021–22 तक कार्यान्वित हो रहा है जिसका उद्देश्य पीआरआईओं की शासन क्षमताओं का विकास करना है। इसका मुख्य ध्यान पंचायती राज संस्थाओं को 117 आशावादी जिलों में मिशन अत्योदय के साथ एकीकरण में स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर है।

संदर्भ

- ब्रायल्ड, ई. (2001)। विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी बढ़ानारू ग्रामीण भारत में पंचायत राज के माध्यम से महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सशक्त बनाना। लोकतंत्रीकरण, 8(3), 149–172।
- वर्मा, ए. (2017)। महिला सशक्तीकरण में पंचायत राज की भूमिकारू भारत का क्षेत्रीय विश्लेषण। खोजरू भूगोल की एक अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा पत्रिका, 4(1), 36–46।
- कुमारी, वी. (2021)। ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिकारू एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। समकालीन सामाजिक विज्ञान, 30(2), 99।
- प्रसाद। आर.सी. (1968), लोकतंत्र और विकास, रचना प्रकाशन नई दिल्ली।
- चौम्बर्स। रॉबर्ट (1983), ग्रामीण विकासरू अंतिम को पहले रखना, लॉन्गमैन प्रकाशन, लंदन, पी–14।
- श्रीमती वाणी, आईटी। प्रो. रवीद्रनाथ एन.कदम। (1 जून 2017), भारत में पंचायती राज संस्थाएँ और ग्रामीण विकास– संरचनात्मक और कार्यात्मक आयाम। www-conferenceworld-in- nkl- संदीप. (जनवरी 2021), ग्रामीण भारत को बदलने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नई दिल्ली–110003.
- लक्ष्मीकांत. एम. (2020), भारतीय राजनीति, छठा संस्करण, मैकग्रॉ हिल एजुकेशन इंडिया

- कुमारी, ए.आर., और सिंह, एन. (2016)। पंचायती राज संस्था में निर्वाचित महिला सदस्यों की भूमिका प्रदर्शन का मूल्यांकन। इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, 15(3), 26–32।
- अनंत, पी. (2014)। भारत में पंचायती राज। जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोशल पॉलिसी, 1(1), 1–9।
- सिंघा, एम. (2016)। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरणरू एक केस स्टडी। जर्नल ऑफ स्टडीज इन सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज ीजजचरूध्ध्ू रीवदसपदम. कॉम, 2(3), 115–120.
- तिवारी, एन. (2014). जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज संस्थाएँ एक उपकरण हैं. जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, 3(4), 5–13.
- मोहपात्रा, जी. (2016). ओडिशा में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरणरू मुद्दों और साक्ष्य की समीक्षा. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 62(2), 294–308.
- सिंह, ए. (2017). पंचायती राज संस्थाओं में महिला सशक्तिकरण, उनकी भागीदारी और चुनौतियाँ. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2(5), 181–184.
- तिवारी, एन. (2013). सतत विकास और समावेशी वृद्धि में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका. जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, 2(1और2), 7–12.